न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 88/1981(जी.सी.एम.एस. 1981/00001)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. मुखराम पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।	1. गोपाल पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।(मृतक) 1/1. रोशनी पुत्री गोपाल राम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर हाल आबाद सरदारगढ तहसील सुरतढ। 1/2. हेतराम पुत्र गोपालराम जाति मेघवाल निवासी धर्मण्डिया तहसील सुरतगढ। 1/3. राजेन्द्र पुत्र गोपालराम जाति मेघवाल निवासी धर्मण्डिया तहसील सुरतगढ। 1/4. माया पुत्री गोपालराम जाति मेघवाल निवासी धर्मण्डिया तहसील सुरतगढ। 2. भागीरथ पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।(मृतक) 2/1. ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर। 2/2. रामप्रताप पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर। 2/3. कृष्णा पुत्री भागीरथ पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी ढाबा तहसील संगरिया। 3. भागवंती पुत्री पतराम जोजा साधु राम जाति मेघवाल निवासी 10 एच सुन्दरपुरा।(मृतक) नोटः-भागवन्ती का वारिस राजू है जो प्रतिवादी संख्या 11 पर दर्ज है। 4. मूर्ती पुत्री पतराम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 5. केसर पुत्री पतराम पत्नी गोवर्धन जाति मेघवाल निवासी निवासी 7 एस जी एम तहसील सुरतगढ। 6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर। 7. किशना पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी चक 6 वीं धनूर। 8. रामलाल पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी चक 6 वीं धनूर। 9. चूना राम पुत्र मोटा राम जाति मेघवाल निवासी चक 6 वीं धनूर(मृतक) 9/1. ज्ञाना राम पुत्र चूना राम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 9/2. लालचन्द पुत्र चूना राम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 9/3. रोशनी पुत्री चूना राम पत्नी राजकुमार जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 9/4. जगदीश पुत्र चूनाराम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 9/4/1.राजू पत्नी जगदीश जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर 9/4/2.मंजू पुत्री जगदीश जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर 9/4/3. संतोष पुत्री जगदीश जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर 9/4/4. राजेन्द्र पुत्र जगदीश जाति मेघवाल निवासी चक 6 वीं धनूर। 10. चैनी पत्नी चूना राम जाति मेघवाल निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील 11. राजू पुत्र साधुराम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 12. शिवलाल पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी 6 वी धनूर। श्रीकरणपुर(मृतक) 12/1.बहादर राम पुत्र शिवलाल जाति मेघवाल निवासी 2 जे.एस. 12/2.धन्ना राम पुत्र शिवलाल जाति मेघवाल निवासी 2 जे.एस. एम. नई मण्डी घडसाना तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। 12/2.धन्ना राम पुत्र शिवलाल जाति मेघवाल निवासी 6 वी धनूर। 12/3. रामरख पुत्र शिवलाल जाति मेघवाल निवासी 6 वी धनूर। 12/4.हरचन्द पुत्र शिवलाल जाति मेघवाल निवासी 52 12/5.सुरली पत्नी हरीराम पुत्री शिवलाल जाति मेघवाल निवासी 52 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 20.05.1981

उपस्थितः
1. श्री कृष्ण कुमार परूथी अधिवक्ता वादी
2. श्री युधिष्ठर सिंह सैनी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 7, 8
3. श्री गुरदेव सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/2, 2/1
4. श्री मोहित कुमार गोयल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9/1 ता 9/3, 9/4/1 ता 9/4/4 व 10
5. श्री मनीष कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9/1
6. श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता प्रतिवाद संख्या 12/1

--निर्णय--

दिनांक : 22.11.2023

I) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीए पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता पतराम के नाम चक 6 वीं के मुरब्बा नम्बर 43 में 3.07 बीघा, मुरब्बा नम्बर 51 में 19.04 बीघा, मुरब्बा नम्बर 54 में 14.06 बीघा कुल 36.17 बीघा नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। हमारे पिता पतराम के फौत हो जाने के बाद उक्त आराजी जैर बहस दावा इन्द्राज कागजात माल में प्रतिवादी संख्या 5 केसर के अलावा वादी व प्रतिवादगण संख्या 1 ता 4 व वादी की एक अन्य बहन कमला के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हो गई। कमला हिस्सेदार कुंवारी ही फौत हो गई। कमला के फौत हो जाने पर वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 समस्त आराजी में बहिस्सा बराबर के हकदार है व बंटवारा करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल ने मुरब्बा नम्बर 43 के 1/6 हिस्सा की भूमि में से 3.07 बीघा का बेचान कर दिया। शेष 2 बीघा 15 बिस्वा और बनता है। आराजी जैर बहस दावा चक 6 वीं के मुरब्बा नम्बर 43, 51, 54 की कुल 36.17 बीघा में वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक 1/6 हिस्सा घोषित किया जाकर कागजात माल में अमलदरामद की डिक्री प्रदान की जावे व आराजी जैर बहस के विभाजन डिक्री प्रदान की जावे।

II) वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जरिए अधिवक्तागण जवाब दावा पेश करने पर तनकीयात कायम की गई तथा प्रकरण में साक्ष्यवादी व साक्ष्यप्रतिवादी ली जाकर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 04.06. 1986 द्वारा वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

III) न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 04.06.1986 के विरूद्व पक्षकारान किशना राम आदि के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील प्रस्तुत की गई। श्रीमान् जी के द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.07.1990 से न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 04.06.1986 को अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया कि अपीलार्थीगण को गोपाल व भागवन्ती के हिस्से तक सह काश्तकार प्रतिस्थापित किया जावे। अन्य सहकाश्तकारो के बंटवारे के प्रस्तावों के अनुरूप ही मामला विचार कर विभाजन एंव घोषणा का दावा में संशोधित प्राथमिक डिक्री एंव तदउपरान्त अंतिम डिक्री पारित की जावे। अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर मु. भागवन्ती को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 डिलीट किया जाता है।

IV) प्रकरण न्यायालय हाजा में दिनांक 13.08.1990 को प्राप्त होने पर पक्षकारों को तलब किया गया। पक्षकारों की ओर से उनके अधिवक्तागण न्यायालय में उपस्थित आए एंव माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय की पालना में तहसीलदार श्रीकरणपुर से भूमि के विभाजन प्रस्ताव मंगवाए गए। इसी दौरान चूनाराम आदि की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत हुआ। जो बाद सुनवाई दिनांक 05.10.1993 को खारिज किया गया। पीडित पक्षकार चूनाराम आदि के द्वारा इस आदेश दिनांक 05.10.1993 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई। श्रीमान् जी के द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 05.10.1993 को निरस्त किया जाकर वर्तमान वाद में चूनाराम आदि को बतौर प्रतिवादी बनाए जाने के आदेश दिए गए।

V) पत्रावली न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय की पालना में चूना राम व चैनी को प्रकरण में बतौर प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के रूप में संयोजित किया गया। इनके द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। कि प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल ने चक 6 वीं धनूर के मुरब्बा नम्बर 43 के 1 बीघा 141/2, किला नम्बर 22/2 में 9 बिस्वा, किला नम्बर 23 सालम, किला नम्बर 24 में 51/2 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 9 चूनाराम को, ... में 141/2 बिस्वा, किला नम्बर 25 में 18 बिस्वा, किला नम्बर 90/6/3 के 2 ... 141/2 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 10 चैनी को दिनांक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

12.03.1980 को बेचान कर कब्जा संभालवा दिया था। तब से लगातार इस भूमि पर दोनों का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसे आज करीब 22-23 वर्ष हो चुके है। जिन पर हम प्रतिवादीगण का कब्जा बतौर प्रतिकूल के भी हो गया है। जिसे इसी अनुसार वादीगण अपने नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड व अगल से लगान कायम करवाने के अधिकारी है। वर्ष 1980 से पानी की पर्चीयां भी प्रतिवादीगण के नाम से चली आ रही है। इसी दौरान दिनांक 13.04.2004 को शिवलाल की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया। जिसे बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर दिनांक 01.11.2004 को शिवलाल को प्रकरण में बतौर प्रतिवादी संख्या 11 के रूप में संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया कि दिनांक 27.02.1981 को प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल ने अपने हिस्से की भूमि चक 6 वीं के मुरब्बा नम्बर 54 के 4 बीघा 17-1/2 बिस्वा नहरी, किला नम्बर 4 के 9-1/2 बिस्वा, किला नम्बर 5 के 16 बिस्वा किला नम्बर 6,15,16,25 प्रत्येक 18 बिस्वा व गैरमुमकिन खाला 90/6/6 के 2 बिस्वा कुल 4 बीघा 19-1/2 बिस्वा का बेचान जरिए पंजीकृत बैयनामा किशना राम व रामलाल के हक में करके कब्जा उसी रोज संभलवा दिया था। दिनांक 11.02.1982 को भागवंती हिस्सेदार के जीतेजी उसके हिस्सा की भूमि 1/6 हिस्सा यानि 4 बीघा 15-1/2 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल ने बतौर मुखत्यारेआम किशना राम व रामलाल को जरिए पंजीकृत बैयनामा बेचान कर दी थी। उसी रोज भागवंती को घरू बंटवारा में आई भूमि चक 6 वीं के मुरब्बा नम्बर 54 के 4 बीघा 19-1/2 बिस्वा नहरी भूमि किला नम्बर 3 के 18 बिस्वा किला नम्बर 4 के 1-1/2 बिस्वा 8, 13, 18, 23 सालम-सालम पर कब्जा किशना राम व रामलाल का करवा दिया गया था। तभी से ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त किशना राम व रामलाल का चला आ रहा है। दिनांक 14.09.1999 को प्रतिवादी संख्या 9 किशना राम ने उक्त चक 6 वीं के मुरब्बा नम्बर 54 के 4 बीघा 19-1/2 बिस्वा नहरी भूमि किला नम्बर 3 के 18 बिस्वा किला नम्बर 4 के 1-1/2 बिस्वा 8, 13, 18, 23 सालम-सालम भूमि जरिए पंजीकृत बैयनामा प्रतिवादी संख्या 11 शिवलाल को बेचान कर दी। उक्त भूमि पर मुझ प्रतिवादी शिवलाल का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी अनुसार मुझ प्रतिवादी के नाम रकबा विधिवत बंटवारा किया जावे। न्यायालय हाजा द्वारा तनकीयात कायम की जाकर दिनांक 11.07.2007 को पारित निर्णय में प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का काउन्टर क्लेम खारिज किया गया व उन्हे बतौर अतिक्रमी घोषित किया गया एंव वादी का वादपत्र स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया।

VI) न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 11.07.2007 के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील प्रस्तुत की गई। श्रीमान् जी के द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.09.2008 के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11.07.2007 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि न्यायालय द्वारा प्रकरण रिमाण्ड होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2003 को वाद बिन्दु कायम किए गए एंव इसी वाद बिन्दुओं के साथ वाद बिन्दु संख्या 7 दिनांक 09.03.2005 को जोडा गया एंव 23.03.2004 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 5 वादबिन्दु कायम किए गए। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 24.12. 2003 को एंव 09.03.2005 को कायम किए गए वाद बिन्दुओं पर ही निर्णय दिया गया है। एंव दिनांक 23.03.2004 को कायम वाद बिन्दुओं के तथ्यों को या तो दिनांक 09.03.2005 को जो तनकी संख्या 7 कायम की थी, उसके साथ तनकीयात में शामिल करते या दिनांक 23.03.2004 को निर्णीत तनकीयात के तथ्यों के आधार पर और तनकीयात कायम कर उसमें जोडते किन्तु ऐसा किया जाना नहीं पाया जाता है। दिनांक 23.04.2004 को जो तनकीयात कायम की गई थी। उनमें तनकी संख्या 1 व 2 महत्वपूर्ण थी। जिस बाबत कोई विवेचन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तनकीयात का निर्णय न कर कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करना उचित समझते है कि वाद एवं वादोतर, काउन्टर क्लेम व उसके जवाबदावा के आधार पर नए सिरे से तनकीयात कायम कर उन पर दोनो पक्षो की साक्ष्य सबूत लेकर कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखकर निर्णय पारित किया जावे।

VII) प्रकरण न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिए जाकर पक्षकारों को तलब किया गया। पक्षकारों की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित आए एंव माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्देशों की पालना में वाद बिन्दु कायम किए गये। साक्ष्य वादी व [illegible] जाकर तनकीवार पारित निर्णय दिनांक 19.10.2010 में प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

7,8,9,10,11 का काउन्टर क्लेम व वादी का बंटवारा हेतु क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। तथा विवादित आराजी मुरब्बा नम्बर 43 की 3.07 बीघा, मुरब्बा नम्बर 51 की 19.04 बीघा व मुरब्बा नम्बर 54 की 14.06 बीघा कुल 36.17 बीघा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 8 को 4 बीघा 19-1/2 बिस्वा का, प्रतिवादी संख्या 11 को 4 बीघा 19-1/2 बिस्वा का व प्रतिवादी संख्या 9 को 1 बीघा 14-1/2 बिस्वा का व प्रतिवादी संख्या 10 को 1 बीघा 14-1/2 बिस्वा का तथा वादी मुखराम व प्रतिवादी संख्या 2 भागीरथ को शेष भूमि 23 बीघा 09 बिस्वा में बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मंगवाया गया।

न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 19.10.2010 के विरूद्ध वादी मुखराम के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील प्रस्तुत की गई। श्रीमान् जी के द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.02.2014 के द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.10.2010 को निरस्त किया गया व निर्देशित किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेश की पालना में कायम की गई तनकी संख्या 6 के निर्णय में 12 साल से अधिक के प्रतिकूल कब्जा के आधार पर पर प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के पक्ष में निर्णय किया है। जबकि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर.आर.टी. 2011(2) पेज 721 के न्यायिक दृष्टांत में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिए जाने को उचित नहीं माना है। एंव प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2011(2) पेज 721 के संदर्भ में पक्षकारों को सुन कर विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे।

IX) प्रकरण न्यायालय हाजा में दिनांक 24.03.2014 को प्राप्त होने पर पक्षकारों को तलब किया गया। पक्षकारों की ओर से उनके अधिवक्तागण न्यायालय में उपस्थित आए। इसी दौरान प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल राम व प्रतिवादी संख्या 2 भागीरथ, प्रतिवादी संख्या 9 चूना राम, प्रतिवादी संख्या 9/4 के फौत होने पर इनके विधिक वारिसान को प्रकरण में बतौर प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित किए जाने के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 2 गोपालराम(मृतक), प्रतिवादी संख्या 2 भागीरथ(मृतक) के वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री गुरदेव सिंह उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 9 चुना राम(मृतक) के वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह, मोहित गोयल व मनीष कुमार उपस्थित आए। प्रतिवादी हेतराम के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(क) सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर चक 6 वीं की सम्वत 2070 ता 73 के मुरब्बा नम्बर 51 की जमाबन्दी हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्देशों की पालना में पुनः निर्णय दिनांक 20.04.2022 पारित किया गया कि राजस्व ग्राम चक 6 वीं, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 115/115 के मुरब्बा नम्बर 43, 51, 54, 90/49 की कुल 7.550 हेक्टैयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि, खाता संख्या 21/21 के मुरब्बा नम्बर 51 की कुल 1.770 हेक्टैयर नहरी भूमि, दोनो खातों की कुल 9.320 हेक्टैयर भूमि में वादी मुखराम को 3.106 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 2 भागीरथ के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2/1 को 1.146 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 2/2 को 1.147 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 2/3 को 0.518 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 3/1 राजू पुत्र साधुराम को 0.295 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 4 मूर्ती को 0.295 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 8 रामलाल को 0.970 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 9 चूना राम(मृतक) के वारिसान को 0.436 हेक्टैयर बहिस्सा बराबर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 10 चैनी बाई को 0.436 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 11 शिवलाल को 0.971 हेक्टैयर भूमि का खातेदार घोषित किया गया व तहसीलदार श्रीकरणपुर से हिस्से माफिक भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किए जाने बाबत विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया।

X) न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 20.04.2022 के विरूद्ध वादी मुखराम के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील प्रस्तुत की गई। श्रीमान् जी के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.11.2022 के द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर न्यायालय हाजा के पारित आदेश दिनांक 20.04.2022 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकी पर साक्ष्य के अनुसार दोनों पक्षों को सुनकर विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित किए जाने बाबत आदेशित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
...पुर

xii) प्रकरण न्यायालय हाजा में दिनांक 26.12.2022 को प्राप्त होने पक्षकारों के अधिवक्तागण को सूचित किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 की मृत्यू के संबध में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। प्रतिवादी संख्या 12 के वारिसान को जरिए सम्मन तलब किया गया। बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। संशोधित शीर्षक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 12/1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 12/1 के विरूद्ध किए गए एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त फरमाया गया।

xiii) हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया गया। इस प्रकरण में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के आदेशानुसार तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक एंव उचित समझते है जो निम्नानुसार हैः-

तनकी संख्या 1:- क्या वादी मुताबिक वाद आराजी जैर बहस दावा में अपना हक घोषित करवाकर बंटवारे की डिक्री पाने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी चक 6 वीं धनूर के मुरब्बा नम्बर 43, 51, 54 की कुल 36 बीघा 17 बिस्वा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार है। जिसमें से वादी का हक 1/6 हिस्सा यानि 1.554 हैक्टेयर भूमि है। वादी की बहन केसर देवी पुत्री पतराम के द्वारा दिनांक 21.06.1985 को जरिए दस्तवरदारी अपना हक 1.554 हेक्टैयर भूमि वादी मुखराम पुत्र पतराम को छोड दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 11 राजू के द्वारा लिखित हलफनामा दिनांक 18.05.2006 से चक 6 वीं के खाता संख्या 82 में अपना 1/6 हिस्सा यानि 0.295 हैक्टेयर भूमि वादी मुखराम के हक में छोड दी है। लिहाजा वादी मुखराम हलफनामा दिनांक 18.05.2006 की रूह से 0.295 हैक्टेयर भूमि, दस्तबरदारी दिनांक 21.06.1985 की रूह से 1.554 हैक्टेयर भूमि व वादी को विरास्तन प्राप्त 1.554 हैक्टेयर भूमि कुल 3.403 हैक्टेयर भूमि का खातेदार मालिक घोषित होकर अलग से खाता व लगान कायम करवाने का अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2:- क्या 3.12 बीघा रकबा प्रतिवादी संख्या 1 ने बेचान किया वह सभी सहभागीदार की सहमति के हिन्दू खानदान मु. की हैसियत से परिवार की आवश्यकता के लिए किया था?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 1 की थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाबदावा में कथन किया कि प्रत्येक हिस्सेदार का वादगत भूमि में 1/6 हिस्सा बनता है। गोपाल ने कुल भूमि में से 3.09 बीघा भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को, उक्त आराजी को कर्म सिंह नाम के व्यक्ति से मुक्त करवाने हेतु सबकी सहमति से कर्म सिंह का ऋण चुकाने हेतु किया। गोपालराम के द्वारा जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.03.1980 से चूना राम व चैनी बाई को भूमि बेचान करने के पश्चात गोपालराम के हिस्से में 0.682 हेक्टैयर भूमि शेष थी। उक्त बैयनामा दिनांक 12.03.1980 का इन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से गोपालराम के द्वारा पुनः जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 27.02.1981 को 1.259 हेक्टैयर भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 7 किशनाराम व प्रतिवादी संख्या 8 रामलाल को बहिस्सा बराबर कर दिया। परन्तु गोपालराम के हिस्से में 0.682 हेक्टैयर भूमि शेष थी। गोपालराम के द्वारा अपने हिस्से से अधिक 0.577 हेक्टैयर भूमि किशनाराम व रामलाल को बहिस्सा बराबर बेचान कर दी। किशनाराम व रामलाल के हक में किया गया पंजीकृत बैयनामा दिनांक 27.02.1981, 0.682 हेक्टैयर भूमि तक ही वैध है। 0.577 हेक्टैयर भूमि का बैयनामा प्रारम्भ से शून्य व निष्प्रभावी है। उक्त बैयनामाजात प्रतिवादी संख्या 1 गोपालराम के द्वारा निष्पादित करवाए गए है, अन्य हिस्सेदारों के द्वारा नहीं। गोपालराम के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि गोपालराम द्वारा बेचान किया गया रकबा समस्त सहखातेदारों की सहमति से किया गया है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3:- क्या प्रतिवादी संख्या 1 ने अदालत के गोपाल बनाम कर्म सिंह वाद में जमाशुदा करीब 7500 रुपए अकेले में उठाए। यदि हां तो इसका दावा पर क्या असर है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श-1 के अनुसार न्यायालय उपजिलाधीश राजस्व श्रीकरणपुर के आदेश दिनांक 06.01.1981 प्रकरण संख्या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

09/1977 अनवान गोपाल बनाम कर्म सिंह दरख्वास्त 212 आरटीए में नायब तहसीलदार
केसरीसिंहपुर को आदेश पारित किया गया कि दिनांक 06.02.1977 द्वारा चक 6 वीं के मुरब्बा
नम्बर 57 के 14.04 बीघा पर रिसीवर नियुक्त किया गया था। रिसीवर से हटाया जाकर आदेश
दिया जाता है कि इस रकबा का कब्जा वादी मुखराम पुत्र पतराम जाति हरिजन मेघवाल साकिन 6
वीं तहसील श्रीकरणपुर को सौंप देने व रिसीवर के दौरान जो आय जमा हुई है, उसमें से राजस्व
अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय अनुसार 600 रुपए प्रतिवादी कर्म सिंह के कम कर शेष
राशि वादी को नियमानुसार दिलाई जावे। वादी ने ऐसा कोई लिखित या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं
किया है, जिससे 7500/- रुपए प्रतिवादी संख्या 1 गोपालराम द्वारा अकेले उठाए जाना साबित
होता है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4:- क्या घरू बंटवारा में आराजी जैर बहस दावा का हो गया था और उसी प्रकार काबिज है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। घरू बंटवारानामा दिनांक 22.07.
1991 के मुताबिक वादी मुखराम को चक 6 वीं के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1, 10,
11, 20 सालम-सालम, किला नम्बर 21 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 13 के 10 बिस्वा, किला
नम्बर 18 सालम, किला नम्बर 23 के 6 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 22 के 9
बिस्वा, किला नम्बर 23, 24 सालम-सालम, किला नम्बर 25 के 18 बिस्वा मय 2 बिस्वा खाला
कुल 29 बीघा 17 बिस्वा भूमि लिखित रूप दी हुई है। परन्तु तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त
विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 23, 24, 25 पर चूना राम पुत्र
मोटाराम का कब्जा काश्त है। वादी घरू बंटवारा अनुसार काबिज नहीं है। लिहाजा वादी दस्तावेजी
साक्ष्य से घरू बंटवारानामा अनुसार प्राप्त भूमि का कब्जा काश्त साबित करने में असफल रहा है।
अतः यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 5:- आया भागवन्ती खातेदार की मृत्यू हो चुकी है और उसके स्थान पर उसके जायज वारिसान को फरीक मुकदमा नहीं बनाया अगर ऐसा है तो उसका दावा पर क्या असर है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की थी। गोपालराम के
द्वारा जरिए मुखत्यारेआम भागवंती के हिस्से में 1.259 हेक्टैयर भूमि का बेचान जरिए पंजीकृत
बैयनामा दिनांक 11.02.1982 को किशनाराम व रामलाल को बहिस्सा बराबर कर दिया था।
भागवन्ती के वारिस प्रतिवादी संख्या 11 राजू के द्वारा लिखित हलफनामा दिनांक 18.05.2006 से
चक 6 वीं के खाता संख्या 82 में अपनी 1/6 हिस्सा यानि 0.295 हैक्टेयर भूमि वादी मुखराम
के हक में छोड दी है। इसके उपरान्त भागवंती व उसके वारिस राजू के पास कोई भूमि शेष नहीं
रही। लिहाजा उसके वारिसान दावा में फरीक मुकदमा होने पर भी दावे पर कोई असर नहीं पडता
है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी संख्या 9 व 10 निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या:-6 आया दिनांक 12.03.1980 को गोपाल प्रतिवादी ने अपनी भूमि में से चक
6 वीं के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 22/2 के 9 बिस्वा, 23
सालम, 24 के 5-1/2 बिस्वा चुनाराम प्रतिवादी व इसी दिनांक को मुरब्बा
नम्बर 43 के किला नम्बर 24 के 14-1/2 बिस्वा, 25 के 18 बिस्वा व
90/6/3 के 2 बिस्वा भूमि का बेचान चेनकी बाई को बेचान करके कब्जा
दे दिया था, तभी से दोनो काबिज चले आ रहे है। अगर ऐसा है तो
उसका वाद पर क्या असर पडेगा?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की थी। प्रतिवादी संख्या
9 व 10 के द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.03.1980 में गोपालराम पुत्र पतराम के
द्वारा अपने हिस्से की 1.554 हेक्टैयर भूमि में से 0.872 हेक्टैयर भूमि का बेचान चूना राम व
चैनी बाई को किया गया है। उक्त बैयनामा उपपंजीयक तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा पंजीबद्ध
है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 17.02.2014 में
तनकी संख्या 6 के निर्णय से प्रतिकूल कब्जा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को खातेदारी
अधिकार प्रदान करने पर अपील स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया कि न्यायिक
दृष्टांत आर.आर.टी 2011(2) पेज 721 के संदर्भ में पक्षकारों को सुनकर विधि अनुसार निर्णय
पारित किया जावे। तनकी संख्या 6 के संबध में हमारा विनम्र अभिमत है कि गोपालराम के द्वारा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के हक में करवाए गए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.03.1980 की रूह से प्रतिवादी संख्या 9 व 10, 0.872 हेक्टैयर भूमि के खातेदार मालिक घोषित होने के अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी संख्या 9 व 10 निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या:-7 क्या गलत तरीके से वादी ने पानी की पर्ची बंधवायी, लेकिन कब्जा प्रतिवादी संख्या 9, 10 के पास होने के कारण उन्हें प्राप्त हुई। इसी वजह से सिविल न्यायाधीश श्रीकरणपुर ने भी उसका वाद खारिज किया?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की थी। पानी के विवाद को लेकर चूनाराम द्वारा पुलिस थाना केसरीसिंहपुर में दर्ज कराए गए मुकदमे के आधार पर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीकरणपुर में चले फौजदारी वाद संख्या 217/1995 में माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.03.2001 में पानी की पर्चियां उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाना, कब्जे का सदेंह से परे साबित न होना आदि आधारों पर वादी मुखराम व अन्य को सदेंह का लाभ देकर बरी किया है। निर्णय की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। तथापि इसे प्रदर्श नहीं करवाया गया है। प्रतिवादी को उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। पानी की बारी के संबध में न्यायालय मुख्य अभियंता सिंचाई (उत्तरखण्ड हनुमानगढ) के न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति जो प्रदर्श-18ए है, के अनुसार पानी की बारी के संबध में चूनाराम व चैनकी की अपील को खारिज किया गया है। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 6 से स्पष्ट है कि पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.03.1980 की रूह से प्रतिवादी संख्या 9 व 10, 0.872 हेक्टैयर भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी संख्या 9 व 10 निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 8:-आया प्रतिवादीगण रामलाल व किशनाराम को दिनांक 11.02.1982 को गोपाल ने भूमि का बेचान किया था एंव 27.02.1981 को भागवंती हिस्सेदार का हिस्सा बतौर मुखत्यारेआम गोपाल, रामलाल व किशनाराम को जरिए पंजीकृत बैयनामा बेचान किया था एंव बेचान की दिनांक से रामलाल व किशनाराम का कब्जा काश्त खरीदशुदा आराजी पर लगातार चला आ रहा है। रामलाल व किशनाराम उक्त भूमि के खातेदार हो चुके है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की थी। गोपालराम पुत्र पतराम के द्वारा अपने हिस्से की 1.554 हेक्टैयर भूमि में से 0.872 हेक्टैयर भूमि का बेचान जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.03.1980 को चूना राम व चैनी बाई को कर देने के पश्चात गोपालराम के हिस्से में 0.682 हेक्टैयर भूमि शेष थी। उक्त बैयनामा दिनांक 12.03.1980 का इन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से गोपालराम के द्वारा पुनः जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 27.02.1981 को 1.259 हेक्टैयर भूमि का बेचान किशनाराम व रामलाल को बहिस्सा बराबर कर दिया। परन्तु गोपालराम के हिस्से में 0.682 हेक्टैयर भूमि शेष थी। गोपालराम के द्वारा अपने हिस्से से अधिक 0.577 हेक्टैयर भूमि किशनाराम व रामलाल को बहिस्सा बराबर बेचान कर दी। किशनाराम व रामलाल के हक में किया गया पंजीकृत बैयनामा दिनांक 27.02.1981, 0.682 हेक्टैयर भूमि तक ही वैध है। 0.577 हेक्टैयर भूमि का बैयनामा प्रारम्भ से शून्य व निष्प्रभावी है। बैयनामा दिनांक 27.02.1981 से किशनाराम व रामलाल 0.682 हेक्टैयर भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी थे। गोपालराम के द्वारा जरिए मुखत्यारेआम भागवंती के हिस्से में 1.259 हेक्टैयर भूमि का बेचान दिनांक 11.02.1982 को किशनाराम व रामलाल को बहिस्सा बराबर कर दिया। अब किशनाराम व रामलाल 1.941 हेक्टैयर भूमि के बहिस्सा बराबर खातेदार है। अतः यह तनकी आशिंक बहक प्रतिवादी संख्या 7 व 8 निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 9:- क्या विवादित भूमि जो जवाबदावा के उजरात मजीद व काउन्टर क्लेम की मद संख्या क में दर्ज है, पर प्रतिवादी बतौर खरीददार दिनांक 12.03.1980 से काबिज चले आ रहे है, उनका कब्जा भी प्रतिकूल हो चुका है, जिससे वे इस भूमि के खातेदार हो चुके है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 6 से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 9 व 10 पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.03.1980 की रूह 0.872 हेक्टैयर भूमि पर काबिज चले आ रहे है, व खातेदार मालिक घोषित होने के अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी संख्या 9 व 10 निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

तनकी संख्या 10:- क्या प्रतिवादी संख्या 12 शिवलाल ने प्रतिवादी संख्या 7 किशना राम मुश्तर्का खाता संख्या 24 में 1/6 हिस्सा, 4 बीघा 19-1/2 बिस्वा भूमि दावा दौरान खरीद कर अपना हक घोषित कराने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 12 की थी। पंजीकृत बैयनामा दिनांक 14.09.1999 के अनुसार चक 6 वीं के खाता संख्या 41 की 4 बीघा 19 1/2 बिस्वा भूमि किशना राम वल्द धन्नाराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 12 शिवलाल को बेचान किया गया है। परन्तु किशनाराम व रामलाल 1.941 हेक्टैयर भूमि के बहिस्सा बराबर खातेदार थे। अर्थात किशनाराम 0.971 हेक्टैयर भूमि का खातेदार मालिक था। किशनाराम द्वारा जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 14.09.1999 को 1.259 हेक्टैयर भूमि का बेचान शिवलाल को कर दिया। जबकि किशनाराम 0.971 हेक्टैयर भूमि का मालिक था। किशनाराम ने अपने हिस्से से अधिक 0.288 हेक्टैयर भूमि का बेचान शिवलाल को कर दिया। शिवलाल के हक में किया गया पंजीकृत बैयनामा दिनांक 14.09.1999, 0.971 हेक्टैयर भूमि तक ही वैध है। 0.288 हेक्टैयर भूमि का बैयनामा प्रारम्भ से शून्य व निष्प्रभावी है। बैयनामा दिनांक 14.09.1999 से शिवलाल 0.971 हेक्टैयर भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। अतः यह तनकी आशिंक बहक प्रतिवादी संख्या 12 निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 11:-क्या वादी मुताबिक बंटवारा दावा अंतिम डिक्री करवाकर अपना हक घोषित करवाने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। पत्रावली में प्रस्तुत घरू बंटवारानामा दिनांक 22.07.1991 के मुताबिक वादी मुखराम को चक 6 वीं के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 सालम-सालम, किला नम्बर 21 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 13 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 18 सालम, किला नम्बर 23 के 6 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 22 के 9 बिस्वा, किला नम्बर 23, 24 सालम-सालम, किला नम्बर 25 के 18 बिस्वा मय 2 बिस्वा खाला कुल 29 बीघा 17 बिस्वा भूमि लिखित रूप दी हुई है। परन्तु तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 23, 24, 25 पर चूना राम पुत्र मोटाराम का कब्जा काश्त है। वादी घरू बंटवारा अनुसार काबिज नहीं है। लिहाजा वादी बंटवारा 22.07.1991 के मुताबिक दावा अंतिम डिक्री करवाकर अपना हक घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्व वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 12:-क्या प्रतिवादी संख्या 1 गोपालराम ने जो आराजी बेचान की, वह समस्त हिस्सेदारों की सहमति से की थी?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 01 की थी। गोपालराम के द्वारा जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.03.1980 से चूना राम व चैनी बाई को भूमि बेचान करने के पश्चात गोपालराम के हिस्से में 0.682 हेक्टैयर भूमि शेष थी। उक्त बैयनामा दिनांक 12.03.1980 का इन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से गोपालराम के द्वारा पुनः जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 27.02.1981 को 1.259 हेक्टैयर भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 7 किशनाराम व प्रतिवादी संख्या 8 रामलाल को बहिस्सा बराबर कर दिया। परन्तु गोपालराम के हिस्से में 0.682 हेक्टैयर भूमि शेष थी। गोपालराम के द्वारा अपने हिस्से से अधिक 0.577 हेक्टैयर भूमि किशनाराम व रामलाल को बहिस्सा बराबर बेचान कर दी। किशनाराम व रामलाल के हक में किया गया पंजीकृत बैयनामा दिनांक 27.02.1981, 0.682 हेक्टैयर भूमि तक ही वैध है। 0.577 हेक्टैयर भूमि का बैयनामा प्रारम्भ से शून्य व निष्प्रभावी है। उक्त बैयनामाजात प्रतिवादी संख्या 1 गोपालराम के द्वारा निष्पादित करवाए गए है, अन्य हिस्सेदारों के द्वारा नहीं। गोपालराम के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि गोपालराम द्वारा बेचान किया गया रकबा समस्त सहखातेदारों की सहमति से किया गया है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 13:- क्या प्रतिवादी संख्या 11 राजू खाता संख्या 82 में से अपना हक घोषित करवाकर बंटवारा करा पाने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 11 की थी। प्रतिवादी संख्या 11 राजू के द्वारा लिखित हलफनामा दिनांक 18.05.2006 में शपथपूर्वक बयान किया है कि मिकर की माता भागवंती पत्नी साधू राम का देहान्त हो चुका है। जिसका मिकर वारिस है। चक 6 वीं के खाता संख्या 82 में अपनी 1/6 हिस्सा यानि 0.295 हैक्टेयर भूमि का वादी मुखराम को खातेदार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

घोषित किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 11 राजू खाता संख्या 82 में अपना हक घोषित करवाकर बंटवारा करवा पाने का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 11 निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 14:- क्या खाता संख्या 24 में से भूमि का बेचान किलावाईज होने के कारण कानूनी अवैध और खरीददारान हिस्सा से अधिक भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है और वादी बंटवारा मुताबिक कब्जा पाने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 6, 7, 9 में विवेचन किया जा चुका है कि प्रतिवादी संख्या 9 व 10 पंजीकृत बेयनामा दिनांक 12.03.1980 की रूह 0.872 हेक्टैयर भूमि पर काबिज चले आ रहे है, व खातेदार मालिक घोषित होने के अधिकारी है एंव प्रतिवादी संख्या 9 व 10 वादगत भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 15:-क्या वादी मुताबिक हल्फनामा दिनांक 24.08.2005 गोपालराम प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 11 राजू ने मुताबिक हल्फनामा दिनांक18.05.2006 को मुताबिक वादी के हिस्सा में कम पैदावार की बंटवारा में भूमि खाता संख्या 24 में आने के कारण एवज में खाता संख्या 82 में 1 बीघा 3 बिस्वा वादी को दी, जो वादी अपने नाम अंतिम डिक्री करवाने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। प्रतिवादी संख्या 1 गोपालराम के द्वारा लिखित शपथपत्र दिनांक 24.08.2005 में कथन किए है कि चक 6 वीं के खाता संख्या 82 में मेरे 1/6 हिस्सा यानि 0.295 हैक्टेयर भूमि आपसी रजामन्दी से वादी मुखराम को दे रहा हूं। परन्तु गोपालराम के द्वारा पूर्व में ही अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया जा चुका है। शपथ पत्र लिखते समय गोपाल राम के पास भूमि शेष नहीं थी। गोपाल राम के द्वारा लिखित हलफनामा दिनांक 24.08.2005 प्रारम्भ से शून्य व निष्प्रभावी है। प्रतिवादी संख्या 11 राजू के द्वारा लिखित हलफनामा दिनांक 18.05.2006 में शपथपूर्वक बयान किया है कि मिकर की माता भागवंती पत्नी साधू राम का देहान्त हो चुका है। जिसका मिकर वारिस है। चक 6 वीं के खाता संख्या 82 में अपनी 1/6 हिस्सा यानि 0.295 हैक्टेयर भूमि का वादी मुखराम को खातेदार घोषित किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लिहाजा वादी मुखराम हलफनामा दिनांक 18.05.2006 की रूह से 0.295 हैक्टेयर भूमि का खातेदार मालिक घोषित होने का अधिकारी है। अतः यह तनकी आशिंक बहक वादी निर्णीत की जाती है।

16.अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 बहक वादी, तनकी संख्या 15 आशिंक बहक वादी एंव तनकी संख्या 5, 6, 7, 9 बहक प्रतिवादी संख्या 9, 10 व तनकी संख्या 8 आशिंक बहक प्रतिवादी संख्या 7, 8 तथा तनकी संख्या 10 आशिंक बहक प्रतिवादी संख्या 12 निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी व प्रतिवादीगण को अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-: क्रियात्मक आदेशः

XIII) अतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड अंतिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम चक 6 वीं, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 115/115 के मुरब्बा नम्बर 43, 51, 54, 90/49 की कुल 7.550 हेक्टैयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि व इसी चक के खाता संख्या 21/21 के मुरब्बा नम्बर 51 की कुल 1.770 हेक्टैयर नहरी भूमि, दोनो खातों की कुल 9.320 हेक्टैयर भूमि में वादी मुखराम को 3.401 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 2 भागीरथ के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2/1 को 1.146 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 2/2 को 1.147 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 2/3 को 0.518 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 4 मूर्ती को 0.295 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 8 रामलाल को 0.970 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 9 चूना राम(मृतक) के वारिसान को 0.436 हेक्टैयर बहिस्सा बराबर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 10 चैनी बाई को 0.436 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 11 शिवलाल(मृतक) के वारिसान को 0.971 हेक्टैयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुखराम बनाम [illegible] आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88 आरटीए
प्रकरण संख्या 88/1981

	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
	मुखराम पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। (3.401 हैक्टेयर)	6 वीं	51	1,3,4	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.70
				5,7,8	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.70
				10,11,18	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.70
				20	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.90
				21	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
				13	0.126 हैक्टेयर	नहरी	0.95
				23	0.026 हैक्टेयर	नहरी	0.20
			54	3	0.201 हैक्टेयर	नहरी	1.51
				4	0.081 हैक्टेयर	नहरी	0.61
				5	0.142 हैक्टेयर	नहरी	1.07
				8	0.067 हैक्टेयर	नहरी	0.50
2	ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर (1.146 हैक्टेयर) रामप्रताप पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर (1.147 हेक्टैयर) कृष्णा पुत्री भागीरथ पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी ढाबा तहसील संगरिया(0.518 हेक्टैयर) मूर्ती पुत्री पतराम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। (0.295 हेक्टैयर)	6 वीं	54	4	0.147 हैक्टेयर	नहरी	1.10
				7	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.90
				14	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.90
				17, 24	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
			51	2,6,9	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.70
				12,15	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
				19	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.90
				22	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.70
				23	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.52
3	रामलाल पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी चक 6 वीं धनूर(0.970 हेक्टैयर)	6 वीं	54	3	0.026 हैक्टेयर	नहरी	0.20
				8	0.186 हैक्टेयर	नहरी	1.40
				13,18,23	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.70
4	चूना राम पुत्र मोटा राम जाति मेघवाल निवासी चक 6 वीं धनूर(मृतक) के विधिक वारिसान(0.436 हेक्टैयर) चैनी पत्नी चूना राम जाति मेघवाल निवासी चक 6 वीं धनूर(0.436 हेक्टैयर)	6 वीं	43	22	0.114 हैक्टेयर	नहरी	0.86
				23,24	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
				25	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.70
			90/49		0.025 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
5	शिवलाल पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) के विधिक वारिसान (0.971 हेक्टैयर)	6 वीं	54	5	0.060 हैक्टेयर	नहरी	0.45
				6	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
				15	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
				16	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.70
				25	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71

उक्त खाता में रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 22.11.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

मुखराम बनाम गोपाल आदि

धारा अन्तर्गत **53, 88** आरटीए मुकदमा नम्बर **88/1981**

निर्णय दिनांक :- 22.11.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी **अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार परूथी व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी, श्री गुरदेव सिंह, श्री मोहित कुमार गोयल, श्री मोहित कुमार गोयल, श्री मनीष कुमार जागिंड,** अशोक कुमार जोशी पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि माफिक राजस्व रिकॉर्ड अंतिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम चक 6 वीं, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 115/115 के मुरब्बा नम्बर 43, 51, 54, 90/49 की कुल 7.550 हेक्टैयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि व इसी चक के खाता संख्या 21/21 के मुरब्बा नम्बर 51 की कुल 1.770 हेक्टैयर नहरी भूमि, दोनो खातों की कुल 9.320 हेक्टेयर भूमि में वादी मुखराम को 3.401 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 2 भागीरथ के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2/1 को 1.146 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 2/2 को 1.147 हेक्टैयर भूगि का, प्रतिवादी संख्या 2/3 को 0.518 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 4 मूर्ती को 0.295 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 8 रामलाल को 0.970 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 9 चूना राम(मृतक) के वारिसान को 0.436 हेक्टैयर बहिस्सा बराबर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 10 चैनी बाई को 0.436 हेक्टैयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 11 शिवलाल(मृतक) के वारिसान को 0.971 हेक्टैयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	मुखराम पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। (3.401 हैक्टेयर)	6 वीं	51	1,3,4	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.70
				5,7,8	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.70
				10,11,18	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.70
				20	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.90
				21	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
				13	0.126 हैक्टेयर	नहरी	0.95
				23	0.026 हैक्टेयर	नहरी	0.20
			54	3	0.201 हैक्टेयर	नहरी	1.51
				4	0.081 हैक्टेयर	नहरी	0.61
				5	0.142 हैक्टेयर	नहरी	1.07
				8	0.067 हैक्टेयर	नहरी	0.50
2	ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर (1.146 हैक्टेयर) रामप्रताप पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर (1.147 हेक्टैयर) कृष्णा पुत्री भागीरथ पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी ढाबा तहसील संगरिया(0.518 हेक्टैयर) मूर्ती पुत्री पतराम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। (0.295 हेक्टैयर)	6 वीं	54	4	0.147 हैक्टेयर	नहरी	1.10
				7	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.90
				14	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.90
				17, 24	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
			51	2,6,9	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.70
				12,15	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.80
				19	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.90
				22	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.70
				23	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.52

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अधिकारी (राजस्व)

रामलाल पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी चक 6 वीं धनूर(0.970 हेक्टैयर)	6 वीं	54	3 8 13,18,23	0.026 हैक्टेयर 0.186 हैक्टेयर 0.759 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी	0.20 1.40 5.70
चूना राम पुत्र मोटा राम जाति मेघवाल निवासी चक 6 वीं धनूर(मृतक) के विधिक वारिसान(0.436 हेक्टैयर) चैनी पत्नी चूना राम जाति मेघवाल निवासी चक 6 वीं धनूर(0.436 हेक्टैयर)	6 वीं	43 90/49	22 23,24 25	0.114 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर 0.025 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी गै.मु.खा.	0.86 3.80 1.70 0.00
शिवलाल पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) के विधिक वारिसान (0.971 हेक्टैयर)	6 वीं	54	5 6 15 16 25	0.060 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	0.45 1.71 1.71 1.70 1.71

उक्त खातों में रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 24.11.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	06	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	04	--
स्टाम्प ड्यूटी	1500	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	1504	**00**	**योग**	**10**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

दिनांकः 24.11.2023

क्रमांकः रीडर/ 2023/549

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)